परिशिष्ट 1

पैराग्राफ 1.7.3

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष में रिजर्व का शेष		
		2004-05	**2005-06**	**2006-07**
	महाराष्ट्र			
1	दि ग्रेट इस्टर्न शिपिंग कं. लि.	385	240	240
2	टोलानी शिपिंग कं. लि.	46	0	0
	पश्चिम बंगाल			
3	सुरेन्द्र ओवरसीज लि.	46.53	46.53	46.53
4	एसियनोल शिपिंग लि.	1.35	1.35	1.35
5	विवदा इंलैन्ड्स	1.24	1.24	1.24
	तमिल नाडु			
6.	टी सी आई सीवेज लि.	4.77	4.77	उ.न.
7	गुड अर्थ मेरीटाइम लि.	16.06	16.06	उ.न.
8	वेस्ट एशिया मेरीटाइम लि.	25.50	25.50	उ.न.
	केरल			
9	साऊथ इंडिया कारपोरेशन लि.	14.13	14.13	14.13
	गोवा			
10	सैनकोल शिपिंग	1.37	1.37	1.37
	आंध्र प्रदेश			
11	ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	333.00	333.00	0
12	केइरसोस मेरीटाइम लि.	3.18	2.08	2.08
13	ओसियन स्पार्कल्स लि.	9.00	7.00	उ. न.
	जोड़	**887.13**	**693.03**	**306.7**

उ.न. : उपलब्ध नहीं

परिशिष्ट 2
पैराग्राफ 1.8.5

(लाख रू. में)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	
				सामान्य #	टीटीएस के अंतर्गत प्रदत्त कर
1	राज शिपिंग लि.	0*	0*	189.92	0.27
2	साऊथ ईस्ट एशिया मेरीटाइम इंजीनियरिंग एंड कं. लि.	0*	0*	74.55	2.00
3	प्रतिभा शिपिंग	0*	0*	247.91	11.67
4	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	0*	0*	38990.26	609.30
5	टोलानी शिपिंग कम्पनी लि.	0*	0*	6984.93	29.25
6	मरकेटर लाइन	0*	0*	6201.15	114.68
7	इस्सार शिपिंग लि.	0*	76.29	11026.34	157.71
8	वरून शिपिंग कं. लि.	0*	24.66	2552.52	40.02
9	गारवेयर शिपिंग कारपोरेशन लि.	0*	30.70	422.75	72.58
10	केइरसोस मेरीटाइम लि.	22.16	27.08	241.57	3.97
11	ओसन स्पार्क लि.	54.09	240.59	90.60	0.37
12	गटी लि.	95.13	56.10	52.99	2.21
13	सिलियन स्पार्कल हार्बर सविसेज लि.	9.44	10.03	4.29	0.06
14	दि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लि.	257.01	2918.26	25340.35	357.59
15	के सी मेरीटाइम	96.96	10.97	15.69	2.62
16	साऊथ इंडिया कारपोरेशन लि.	53.83	916.06	745.30	6.21
17	गुड अर्थ मेरीटाइम लि.	15.85	49.05	2014.00	36.69
18	सनमार शिपिंग कं.लि.	15.95	152.53	2582.76	266.58
	जोड़	**620.42**	**4512.32**	**97777.88**	**1713.78**
	* धारा 33 ए सी के अंतर्गत कटौती अनुमत के पश्चात् # कम्पनियों ने सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत करयोग्य कल्पित आयकर के लिए टीटीएस का विकल्प नहीं दिया था। महाराष्ट्र से संबंधित क्रम सं. 1 से 9, 14 और 15; आंध्र प्रदेश से संबंधित 10 से 13; केरल से संबंधित 16; तमिलनाडु प्रभारों से संबंधित 17 और 18				

परिशिष्ट 3

पैराग्राफ 1.9.4

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं.	निर्धारिती और सी आई टी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण ब्यौरे	गलती का स्वरूप	कर प्रभाव
1	पूंपुहर शिपिंग कारपोरेशन लि. सीआईटी-III चेन्नई	2005-06	संवीक्षा/से. 154 दिसम्बर 2007/ फरवरी 2008	समाविष्ट नहीं किया गया मूल्यह्रास जिसे निर्धारण वर्ष 2005-06 तक अग्रेनीत किया जाना है को 4.36 करोड़ रू. के बदले 17.62 करोड़ रु निर्धारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 13.26 करोड़ रू. का मूल्यह्रास का अधिक अग्रेनीत हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2008) और निर्धारण में संशोधन किया।	4.64
2	रेडियेन्ट शिपिंग लि. मुम्बई सिटी 5	2004-05	संवीक्षा दिसम्बर 2006	निर्धारिती को बेड़ा पर धारा 43(6) के उल्लघंन में 8.67 करोड़ रू. के मूल्यह्रास की अनुमति दी गई थी जिसे सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान बेचा गया था और 31 मार्च 2004 तक बेड़ा के सम्पूर्ण खंड को विद्यमान होने के लिए समाप्त कर देना था। इसके परिणामस्वरूप 3.11 करोड़ रू. कर की संभावित कम उगाही शामिल करते हुए 8.67 करोड़ रू. की हानि को अधिक अग्रेनीत किया गया। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और गलती को सुधार किया (नवम्बर 2007)।	3.11
3	अभियान कार्गो प्रा. लि. कोलकाता सीआईटी-I	2005-06	सारांश सितम्बर 2006	आय रिटर्न में संलग्न कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए 5.84 करोड़ रू. की अदायगी पर निर्धारिती द्वारा कोई कर की कटौती नहीं की गई थी जो धारा 194सी के प्रावधानों का उल्ल्घंन था। व्यय में अनुमत की छूट के परिणामस्वरूप 5.84 करोड़ रू. की आय का कम निर्धारण हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया है।	2.37
4	सिकल लोजिस्टिक लि. सीआईटी-III चेन्नई	2003-04	संवीक्षा मार्च 2006	निर्धारिती ने लिए गए उधार पूंजी पर 18.55 करोड़ रू. का एक जहाज खरीद किया (मार्च 2002) और वास्तविक रूप से बिना उपयोग किए इसे 13.59 करोड़ रू. में बेच दिया (अप्रैल 2004)। 3.26 करोड़ रू. का ब्याज और लिए गए पूंजी पर 3.41 करोड़ रू. धारा 36(1) (iii) के प्रावधान के अनुसार स्वीकृति नहीं दी गई थी।	1.19
		2004-05	संवीक्षा दिसम्बर 2006		1.23

5	कोचीन शिपयार्ड लि. सीआई टी कोची	2005-06	संवीक्षा दिसम्बर 2007	अप्रचलन, अनुपयोगिता के लिए प्रावधानों और 4.88 करोड़ रू. की इन्वेंटरी राशि का अद्योगति लाभ और हानि लेखा (अनुसूची 7) मे डेबिट किया गया था जो अनुमत योग्य व्यय नहीं था। व्यय में स्वीकृति नहीं दी गई छूट के परिणामस्वरूप 4.88 करोड़ रू. की आय का कम निर्धारण हुआ। विभाग ने बताया कि जिस स्टॉक के प्रति प्रावधान किया गया उसका या तो भविष्य में प्रयोग किया जाएगा अथवा उसे अप्रोज्य के रूप में बट्टे खाते डाल दिया जाएगा।	2.38
6	सुरेन्द्र ओवरसीज लि. सीआईटी (कें.)I, कोलकाता	2003-04	संवीक्षा फरवरी 2006	सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत 7.04 करोड़ रू. की हानि का निर्धारण किया गया था। यद्यपि, निर्धारिती के बही में 6.14 करोड़ रू. का लाभ तैयार किया गया था जिसे विशेष प्रावधानों के अंतर्गत देय कर को तैयार करते समय लेखा में नहीं लिया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2008)।	0.73
7	साऊथ इंडिया कारपोरेशन लि. सीआईटी कोची	2005-06	संवीक्षा दिसम्बर 2007	निर्धारिती को जहाज और पवन उर्जा उत्पादन के व्यवसाय से उत्पन्न संयुक्त लाभों पर 2 करोड़ रू. की कटौती की अनुमत दी गई थी। आगे ले गए हानियों को समायोजित करने के पश्चात् निर्धारिती को धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती की अनुमति के लिए वांछनीय उत्तरदायित्व (अर्थात् पवन चक्की) से कोई लाभ नहीं था।	0.97
8	ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया सीआईटी I विशाखापत्तनम	2003-04	संवीक्षा/संशोधित फरवरी 2004/ अप्रैल 2006	धारा 234बी के अंर्तगत 77.75 लाख रू. के ब्याज की उगाही की गई थी, यद्यपि निधारिती ने अग्रिम कर अदा किया था और स्वनिर्धारण कर कुल योग कर देय का 90 प्रतिशत से अधिक था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार किया और उपचारी कार्रवाई की (अक्तूबर/नवम्बर 2007)।	0.78
9	वी एस एण्ड बी कन्टेनर प्रा.लि. सीआईटी I चेन्नई	2002-03	संवीक्षा मार्च 2005	70.22 लाख रू. और 122.38 लाख रू. का आन्तरिक व्यय जो पूंजी रूप में था को राजस्व व्यय के रूप में निर्धारण में अनुमत किया गया था।	0.25
		2003-04	सारांश मार्च 2004		0.45
10	एएफएल प्रा.लि.सीआईटी	2005-06	संवीक्षा दिसम्बर 2007	निर्धारिती को 14.13 करोड़ रू. की हानि के प्रति 16.24 करोड़ रू. की हानि को अग्रेनीत	0.77

	सेन्ट्रल I मुम्बई			करने की अनुमत दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप 2.12 करोड़ रू. (पीटीई) की हानि का अधिक अग्रेनीत हुआ।	
11	एबीजी शिपयार्ड लि. सीआईटी सेन्ट्रल III मुम्बई	2003-04	संवीक्षा जनवरी 2006	प्राप्त किए गए 3.33 करोड़ रू. की ब्याज का नब्बे प्रतिशत 80 एचएचसी के अंतर्गत परिकलन कटौती करते समय घटाया नहीं गया था। विभाग ने बताया (अगस्त 2008) कि धारा 263 के अंर्तगत उपचारी कार्यवाही की गई थी।	0.64
12	प्रियांशु सी फूड (प्रा.)लि. सीआईटी । विशाखापत्तनम	2003-04	सारांश मार्च 2004	दो आयातित डीप सी फिशिंग वेसल्स के संबंध में 86.06 लाख रू. और 118.00 लाख रू. का मूल्यह्रास अनुमत किया गया था जो अनियमित था जैसाकि निर्धारिती वेसल का स्वामी नहीं था और निर्धारिती द्वारा वेसल का अधिग्रहण करने के लिए कोई रकम अदा नहीं किया गया था। प्रसंगवश यह देखा गया कि विभाग ने निर्धारण वर्ष 2004-05 के दौरान इन वेसलों के संबंध में 158 लाख रू. की मूल्यह्रास अनुमत किया था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और उपचारी कार्रवाई आरंभ की।	0.32
		2005-06	सारांश अगस्त 2006		0.43
जोड़					**20.26**

परिशिष्ट 4
पैराग्राफ 1.10.3

(करोड़ रू. में)

क्रम सं.	पोर्ट ट्रस्ट निर्धारण वर्ष	द्वारा अपील और कहां लम्बित	मामला संक्षिप्त में	अन्तर्ग्रस्त कर
1	जवाहरलाल नेहरू			
	2003-04	सीआईटी (ए) के साथ निर्धारिती द्वारा	31.3.2002 तक की अवधि से संबंधित ऋण पर ब्याज, खरीद की गई परिसम्पत्तियों पर निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए निर्धारण में अपनाये जाने वाले डब्ल्यू डी वी और 2003-04 के पहले उपयोग में लाने के लिए जब पोर्ट ट्रस्ट कर योग्य नहीं थे। क्या डब्ल्यू डी वी उपदान स्वीकृत करने के लिए अंशदान की अस्वीकृति और चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त सेवानिवृत निधि लेकिन पहले के वर्षो से संबंधित, गृह सम्पत्ति आदि से आय के रूप में इसे मानने के बदले व्यवसाय के रूप में माने गए स्टाफ क्वार्टरों से किराया आय आदि पर पहुंचते समय मूल्यह्रास का परिकलन किया जाना है और कल्पित रूप से घटाया जाना है।	300.16
	2004-05	सीआईटी(ए) के साथ निर्धारिती द्वारा	-वही-	115.91
	2005-06	सीआईटी(ए) के साथ निर्धारिती द्वारा	-वही-	88.79
2	**पारादीप**			
	2004-05	आईटीएटी में विभाग द्वारा	ऋण पर ब्याज और परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास का दर	0.18
	2005-06	-वही-	-वही-	55.89
3	**विशाखापत्तनम**			
	2004-05	आईटीएटी में विभाग द्वारा	पूर्व अवधि में खर्चों की अस्वीकृति	6.91
	2005-06	-वही-	अधिक मूल्यह्रास की अस्वीकृति	0.59
4	**कोची (कोचीन)**			
	2004-05	आईटीएटी में विभाग द्वारा	कर्मचारियों के सेवा-निवृत्त लाभों के लिए सृजित प्रावधानों में बकाया शेष का कर-योग्यता	37.43
5	**मोर्मुगांव**			
	2005-06	आईटीएटी में विभाग द्वारा	खरीद की गई परिसम्पत्तियों पर निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए निर्धारण में अपनाये जाने वाले ह्रासित मूल्य और 2003-04 से पहले उपयोग में लाने के लिए जब पोर्ट ट्रस्ट करयोग्य नहीं था। क्या डब्ल्यूडीवी पर पहुंच के समय मूल्यह्रास को परिकल्पित रूप से कम किया जाना है?	3.93

6	**न्यू मंगलोर**			
	2003-04	उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा	खरीद की गई परिसम्पत्तियों पर निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए निर्धारण में अपनाये जाने वाले ह्रासित मूल्य और 2003-04 से पहले उपयोग के लिए जब पोर्ट ट्रस्ट करयोग्य नहीं था। क्या डब्ल्यूडीवी पर पहुंच के समय मूल्यह्रास को परिकल्पित रूप से कम किया जाना है?	34.40
	2004-05	आईटीएटी में विभाग द्वारा	-वही-	27.87
	2005-06	आईटीएटी में विभाग द्वारा	उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रयुक्त सहायता अनुदानों के कराधान और धारा 43बी के अन्तर्गत अस्वीकृति।	19.19
7	**कांडला**			
	2003-04	उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा	मूल्यह्रास की स्वीकृति के लिए ह्रासित मूल्य और परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण	45.84
	2004-05	आईटीएटी में निर्धारिती द्वारा	परिसम्पत्तियों की लागत पर दावा किए गए मूल्यह्रास, उत्पादकता से जुड़े बोनस की ओर खर्चे और व्यय का दावा जिस पर कर स्रोत पर कटौती नहीं की गयी थी।	10.75
	2005-06	सीआईटी(ए) के साथ निर्धारिती द्वारा	परिसम्पत्तियों की लागत पर दावा किए गए मूल्यह्रास और उत्पादकता से जुड़े बोनस के लिए खर्चे	8.44
	जोड़			**756.28**
तमिलनाडु में चेन्नई, इन्नौर और तुतीकोरीन और मुम्बई में पोर्ट ट्रस्टों के संबंध में अपीलों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।				

परिशिष्ट 5
पैराग्राफ 1.10.6.1 से 1.10.6.3

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	परिसम्पत्ति का स्वरूप	परिसम्पत्ति के महीने	मूल्यह्रास का अत्यधिक छूट	कर प्रभाव	जोड़
	हर्वावस						
1.	इन्नोर पोर्ट लि.	2003-04	संवीक्षा	नवम्बर 2005	110.23	40.11	**40.11**
	कैपिटल ड्रेजिंग		संवीक्षा				
2.	विशाखापत्नम पोर्ट ट्रस्ट	2003-04	संवीक्षा	फरवरी 2005	1.58	0.50	
		2004-05	संवीक्षा	नवम्बर 2006	3.00	0.99	
		2005-06	संवीक्षा	दिसम्बर 2007	2.70	0.99	
3.	काकीनाडा सी पोर्ट्स लि.	2005-06	संवीक्षा	नवम्बर 2007	0.16	0.06	
4	न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट	2003-04	संवीक्षा	मार्च 2006	31.27	10.32	
		2004-05	संवीक्षा	दिसम्बर 2006	20.33	6.71	
		2005-06	संवीक्षा	दिसम्बर 2007	12.43	4.18	
		2006-07	संवीक्षा	मार्च 2008	6.79	2.31	
5.	चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट	2003-04	संवीक्षा	मार्च 2006	0.72	0.22	**26.28**
	रेलवे साइडिंग		संवीक्षा				
6	विशाखापत्नम पोर्ट ट्रस्ट	2003-04	संवीक्षा	फरवरी 2005	3.13	1.62	
		2004-05	संवीक्षा	नवम्बर 2006	2.06	1.10	
		2006-07	संवीक्षा	दिसम्बर 2007	0.78	0.44	
7	काकीनाडा सी पोर्ट्स लि.	2005-06	संवीक्षा	नवम्बर 2007	0.56	0.21	
8	मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट	2003-04	संवीक्षा	फरवरी 2006	4.72	1.49	
		2004-05	संवीक्षा	दिसम्बर 2006	5.36	1.65	
		2005-06	संवीक्षा	सितम्बर 2007	3.39	1.05	
9.	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट	2003-04	संवीक्षा	दिसम्बर 2007	10.89	5.39	
		2004-05	संवीक्षा	जुलाई 2007	7.08	3.04	
		2005-06	संवीक्षा	दिसम्बर 2007	4.33	1.80	**17.79**

परिशिष्ट 6

पैराग्राफ 1.10.8

(करोड़ रू. में)

क्रम सं.	निर्धारिती और सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण के ब्यौरे	गलती का स्वरूप	ब्याज के साथ कर प्रभाव
1.	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट सीआईटी ।। ठाणे प्रभार	2003-04	संवीक्षा/ संशोधित दिसम्बर 2007 फरवरी 2008	मूल निर्धारण आदेश का सुधार करते समय निर्धारण अधिकारी ने 64.08 करोड़ रू. की उचित राशि के विरूद्ध व्यवसाय आय 51.08 करोड़ रू. तक कम कर दिया। इसके परिणामस्वरूप 13 करोड़ रू. की आय का अधिक निर्धारण हुआ।	4.10
2.	-वही-	2004-05	संवीक्षा जुलाई 2007/ फरवरी 2008	पुर्जे की बिक्री पर 721 लाख रू. की हानि जिसे पूंजीगत परिसम्पत्तियों अर्थात् बल्क टर्मिनल के लिए उपयोग किया गया था को राजस्व व्यय के रूप में अनुमत किया गया था।	2.22
3.	न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट सीआईटी मंगलोर	2004-05	संवीक्षा दिसम्बर 2006	यू एस 64 योजना के अंतर्गत यूनिटों को करमुक्त सरकारी प्रतिभूति में परिवर्तन पर 7.93 करोड़ रू. की पूंजीगत हानि को राजस्व व्यय के रूप में अनुमत किया गया था। प्रसंगवश यह बताया जा सकता है कि इस राशि को निर्धारण वर्ष 2004-05 के दौरान मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के संवीक्षा निर्धारण में अस्वीकृत किया गया था।	2.62
4.	तुतीकोरन पोर्ट ट्रस्ट	2004-05	संवीक्षा दिम्बर 2006	11.69 करोड़ रू. के उतार-चढ़ाव विनिमय दर को अचल परिसम्पत्तियों में जोड़ा गया था और 2.92 करोड़ रू. (@ 25 प्रतिशत) का मूल्यह्रास अनुमत किया गया था। तथापि धारा 43ए के अनुसार विदेशी विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को केवल पूंजी में परिणत किया जा सकता है यदि परिसम्पत्ति पर विदेशी विनिमय दायित्व को पूर्णरूपेण मुक्त कर दिया गया था। चूंकि व्यय को पूंजी में परिणत करने के लिए दायित्व को मुक्त नहीं किया गया और उस पर मूल्यह्रास की स्वीकृति देना अनुचित था।	1.05
5.	न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट सीआईटी मंगलोर	2005-06	संवीक्षा दिसम्बर 2007	वीआरएस व्यय की ओर 52.75 लाख रू. (2.64 करोड़ रूपए का पांचवा भाग) के स्वीकार्य कटौती के विरद्ध 4.75 करोड़ रू. की कटौती की अनुमत दी गयी थी जिसके परिणामस्वरूप 1.70 करोड़ रू. के कर प्रभाव शामिल करते हुए 4.22 करोड़ रू. की कटौती की अनुचित छूट दी गयी। पुनः संक्षिप्त निर्धारण के दौरान पहले वापिस की गई राशि 15.87 करोड़ रू. के विरूद्ध 16.89 करोड़ रूपए स्वीकार किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 72 लाख रू. का अधिक मांग हुआ।	0.98
6.	पारादीप पोर्ट ट्रस्ट सीआईटी कटक	2004-05	संवीक्षा/ संशोधित जून 2005/ अप्रैल 2007	अनुज्ञेय 203.36 करोड़ रू. के विरूद्ध 203.86 करोड़ रू. का मूल्यह्रास का गलत छूट को सुधार करने के लिए संशोधन आदेश मांगा गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 50 लाख रू. जोड्ने के बजाय उसे करयोग्य आय से कम कर दिया गया था।	0.60

7.	काकीनाडा सी पोर्ट ट्रस्ट लि. सीआईटी II हैदराबाद	2005-06	संवीक्षा नवम्बर 2007	निर्धारण वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक से संबंधित समाविष्ट नहीं किए गए मूल्यह्रास की स्वीकृति देने के पश्चात् विशेष प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण पूरा किया गया था। तथापि, 4.79 करोड़ रू. बढ़ना जो अनियमित था के विरूद्ध 20.43 करोड़ रू. बढ़ाये जाने हैं की हानि का लेखापरीक्षा संवीक्षा में अग्रेनीत किया गया। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया कि आवश्यक परिशोधन एक अतिरिक्त मांग को उद्भूत करते हुए किया गया था।	0.50
8.	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट सीआईटी XII कोलकाता	2004-05	संवीक्षा दिसम्बर 2006	निवासीय भवनों पर मूल्यह्रास अनुज्ञेय पांच प्रतिशत के विरूद्ध दस प्रतिशत की दर से अनुमत किया गया था। इसके अतिरिक्त अनुज्ञेय 2.70 करोड़ रू. के विरूद्ध संयंत्र एवं मशीनरी पर मूल्यह्रास के रूप में 3.21 करोड़ रू. अनुमत किया गया था।	0.48
9.	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट सीआईटी ठाणे	2004-05	संवीक्षा/ संशोधित जुलाई 2007/ फरवरी 2008	जैसा कि यह पूर्व अवधि से संबंधित था, इसलिए कुल आय से 1.34 करोड़ रू. की आय को कम कर दिया गया था। फिर भी संशोधन आदेश में 1.34 करोड़ रु की राशि को एक बार फिर कम कर दिया गया था।	0.41
10.	मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट सीआईटी सिटी XII मुम्बई	2003-04	संवीक्षा फरवरी 2006	निर्धारिती द्वारा दावा किए गए 3.96 करोड़ रु की राजस्व व्यय को पूंजीरूप में इसे मानते हुए अस्वीकृत कर दिया गया था और 99 लाख रू. का मूल्यह्रास अनुमत किया गया था। निर्धारिती द्वारा एक अपील पर अपील प्राधिकारी ने स्थिति को यथावत पुनः स्थापित किया। आदेश में अपील आदेश को कार्यान्वित करने के लिए (मई 2007 में आदेश पारित) मूल आदेश में अनुमत 99 लाख रू. का मूल्यह्रास को पुनः जोड़ा नहीं गया था। विभाग ने उपचारी कार्यवाही की (अगस्त 2008)।	0.31
जोड़					**13.27**

परिशिष्ट 7
पैराग्राफ 1.21.4

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	**निर्धारिती और सीआईटी प्रभार**	**निर्धारण वर्ष**	**निर्धारण का स्वरूप**	**निर्धारण का महीना**	**भेजी गई रकम जिस पर कर की कटौती नहीं की गई**	**कर प्रभाव**
1	सिकल लोजिस्टीक्स लि. सीआईटी ।।। चेन्नई	2002-03	संवीक्षा	मार्च 2005	5.14	3.29
		2003-04	संवीक्षा	मार्च 2006	12.86	6.47
		2004-05	संवीक्षा	दिसम्बर 2006	23.09	12.06
2	गुडअर्थ मेरीटाइम लि. सीआईटी । चेन्नई	2003-04	संवीक्षा	जनवरी 2006	12.88	4.73
		2004-05	संवीक्षा	दिसम्बर 2006	18.46	6.62
3	वरूण शिपिंग कं. लि. सीआईटी मुम्बई सिटी 5	2003-04	संवीक्षा	मार्च 2006	6.55	2.41
		2004-05	संवीक्षा	दिसम्बर 2006	7.22	2.59
4	रेडियेंट शिपिंग लि. सीआईटी मुम्बई सिटी 5	2003-04	संवीक्षा	मार्च 2006	12.32	4.53
		2004-05	संवीक्षा	दिसम्बर 2006	4.09	1.47
5	किनशिप सर्विसेज (आई) प्रा.लि. सीआईटी ईरनाकुलम	2003-04	संवीक्षा	फरवरी 2006	4.89	2.23
जोड़						**46.4**

परिशिष्ट-8

मूलभूत विकास उपक्रमों के अलावा कुछ उपक्रमों द्वारा लाभ तथा अधिप्राप्ति की छूटों की समीक्षा (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईबी के अन्तर्गत छूट)

(पैरा 2.3.3.1 देखें)

विभिन्न क्षेत्रों में धारा 80 I बी के अन्तर्गत उपलब्ध छूटों का सार

	लघु औद्योगिक उपक्रम	औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य में स्थापित औद्योगिक उपक्रम (कोल्ड स्टोरेज में शामिल करते हुए) (आठवीं अनुसूची)	ए कैटेगरी पिछड़े जिले में स्थापित औद्योगिक उपक्रम (कोल्ड स्टोरेज को शामिल करते हुए)	बी कैटेगरी में अधिसूचित पिछड़े जिले में स्थापित औद्योगिक उपक्रम (कोल्ड स्टोरेज को शामिल करते हुए)	कृषि उत्पाद हेतु कोल्ड चेन सुविधा	अन्य
1.उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति	कोई भी	कोई भी (टिप 2 देखें)	ग्यारहवीं अनुसूची में दिए गए के अतिरिक्त	ग्यारहवीं अनुसूची में दिए गए के अतिरिक्त	कृषि उत्पाद हेतु कोल्ड चेन सुविधा	ग्यारहवीं अनुसूची में दिए गए के अतिरिक्त
2. उत्पादन या परिचालन प्रारम्भ करने की समयसीमा	1 अप्रैल 1995 तथा 31 मार्च 2002 के बीच	1 अप्रैल 1993 तथा 31 मार्च 2004 के बीच (जम्मू तथा कश्मीर राज्य में औद्योगिक उपक्रम हेतु 31 मार्च 2007)	1 अक्तूबर 1994 तथा 31 मार्च 2004 के बीच	1 अक्तूबर 1994 तथा 31 मार्च 2004 के बीच	1 अप्रैल 1999 तथा 31 मार्च 2004 के बीच	1 अप्रैल 1991 तथा 31 मार्च 1995 के बीच
3. छूट की राशि (छूट का समय प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष से आरम्भ होता है।)						
3.1 कम्पनी के स्वामित्व वाली	पहले 10 वर्षों के लिए 30 %	पहले 5 वर्षों के लिए 100 % तथा अगले 5 वर्षों के लिए 30 %	पहले 5 वर्षों के लिए 100 % तथा अगले 5 वर्षों के लिए 30 %	पहले 3 वर्षों के लिए 100 % तथा अगले 5 वर्षों के लिए 30 %	पहले 5 वर्षों के लिए 100 % तथा अगले 5 वर्षों के लिए 30 %	पहले 10 वर्षों के लिए 30 %
3.2 सहकारी समिति के स्वामित्व वाली	पहले 12 वर्षों के लिए 25 %	पहले 5 वर्षों के लिए 100 % तथा अगले 7 वर्षों के लिए 25 %	पहले 5 वर्षों के लिए 100 % तथा अगले 7 वर्षों के लिए 25 %	पहले 3 वर्षों के लिए 100 % तथा अगले 9 वर्षों के लिए 25 %	पहले 5 वर्षों के लिए 100 % तथा अगले 7 वर्षों के लिए 25 %	पहले 12 वर्षों के लिए 25 %
3.3 किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व वाली	पहले 10 वर्षों के लिए 25 %	पहले 5 वर्षों के लिए 100 % तथा अगले 5 वर्षों के लिए 25 %	पहले 5 वर्षों के लिए 100 % तथा अगले 5 वर्षों के लिए 25 %	पहले 3 वर्षों के लिए 100 % तथा अगले 5 वर्षों के लिए 25 %	पहले 5 वर्षों के लिए 100 % तथा अगले 5 वर्षों के लिए 25 %	पहले 10 वर्षों के लिए 25 %

टिप्पणी

1. निर्धारण वर्ष 2004-05 से धारा 80 I सी के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने योग्य उपक्रमों/उद्यमों को धारा 80 I बी के अन्तर्गत कोई छूट प्राप्त नहीं होगी।
2. निर्धारण वर्ष 2005-06 से जम्मू तथा कश्मीर राज्य में किसी औद्योगिक उपक्रम को सिगरेट/सिगार, आसवित तथा किण्वित अलकोहलिक पेय, वातित ब्रान्डेड पेय तथा अन्य सान्द्रों का निर्माण या उत्पादन नहीं करना चाहिए।

परिशिष्ट 9
(पैरा 2.4.1 देखें)

जहां विभाग से डाटाबेस उपलब्ध है ऐसे मामलों का चयन आधार

प्रभार	धारा 80 I बी (3) तथा 80 I बी (5) में सम्मिलित औद्योगिक उपक्रमों अर्थात औद्योगिक उपक्रम लघु उद्योग, पिछड़े जिलों में स्थापित उद्योग	कालम (2) में वर्णित कैटेगरी के अतिरिक्त औद्योगिक उपक्रम	चिन्हित मामलों में से हटाए गए मामले
(1)	(2)	(3)	(4)
सभी राज्य जहां पर भी विभाग से डाटाबेस उपलब्ध है।	चिन्हित मामलों का 50 प्रतिशत न्यूनतम 250 मामले तक। उपरोक्त अनुसार एक बार नमूना आकार निर्धारित होने पर, व्यक्तिक मामलों के चयन हेतु निम्नांकित जांच बिन्दु अपनाया गयाः सर्वोच्च मामलों में नमूना आकार का 80 प्रतिशत यादृच्छिक नमूना लेने के आधार पर अन्य मामलों में से नमूना आकार का 20 प्रतिशत	चिन्हित मामालें का 100 प्रतिशत	1. हानि मामले 2. 5 लाख रूपए से कम छूट के लिए दावे के मामले

जहां विभाग से डाटाबेस उपलब्ध नहीं था ऐसे मामलों का चयन आधार

प्रभार	नमूना के स्रोत को चिन्हित करने के लिए जांच बिन्दु			धारा 80-आईबी के अन्तर्गत छूट प्राप्त कर रहे निर्धारितियों को चिन्हित करने के लिए जांच बिन्दु	चिन्हित मामलों से हटाए गए मामले
	स्रोत क्षेत्र	संलग्न जोखिम तत्व	चयन का आधार		
1	2	3	4	5	6
सभी राज्य जहां पर भी विभाग से डाटाबेस उपलब्ध नहीं है।	कम्पनी चक्र→ गैर-कम्पनी चक्र →	उच्च जोखिम क्षेत्र→ न्यून जोखिम क्षेत्र→	कम्पनी चक्रों का 60 प्रतिशत गैर कम्पनी चक्रों का 20 प्रतिशत	चयनित चक्रों में चिन्हित मामलों का 100 प्रतिशत	1. हानि मामले 2. 5 लाख रू. से कम छूट के लिए दावे के मामले

परिशिष्ट 10
(पैरा 2.8.2.2 देखें)

(लाख रू. में)

गैर निर्माण क्रियाकलापों अथवा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए औद्योगिक उपक्रम

क्रमांक	निर्धारिती का नाम सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/निर्धारण की तिथि	विवरण	राजस्व प्रभार
1	मैसर्स आराम बाग हैचरीज (पी) लिमिटेड **सीआईटी केन्द्रीय III, कोलकाता**	2001-02 2004-05	संवीक्षा/मार्च 2004 संक्षिप्त/मार्च 2006	निर्धारिती मांस का संसाधन करता था। विधिनुसार यह निर्णित[1] है कि मांस को संसाधित करना निर्माण नहीं है। अतः निर्धारिती धारा 80 I बी के अन्तर्गत छूट का दावा करने योग्य नहीं था।	170.79
2	मैसर्स आरामबाग हैचरीज (पी) लिमिटेड **सीआईटी केन्द्रीय III कोलकाता**	2002-03	संवीक्षा/जुलाई 2004	निधारिती मांस तथा मुर्गीदाने का संसाधन करता था चूंकि वैधिक निर्णयों के अनुसार मांस तथा मुर्गिदानें का संसाधन निर्माण प्रक्रिया नहीं है निर्धारिती धारा 80 I बी के अन्तर्गत छूट का दावा करने योग्य नहीं था।	139.41
3	मैसर्स शालीमार पैलेट फीड्स लिमिटेड **सीआईटी केन्द्रीय III कोलकाता**	2005-06	संवीक्षा/मई 2007	निर्धारिती मुर्गीदाने का संसाधन करता था। वैधिक अनुसार यह निर्णित[2] है कि मुर्गीदाने का संसाधन उत्पादन प्रक्रिया नहीं है। अतः निर्धारिती धारा 80 I बी के अन्तर्गत छूट का दावा करने योग्य नहीं था।	129.25

[1] सीआईटी बनाम रिलिश फूड 237 आईटीआर 59 (एससी)

[2] इंडियन पॉलटरी बनाम सीआईटी (2001) 116 टेक्सेमैन 493

परिशिष्ट 11
(पैरा 2.8.3.2 देखें)

(लाख रू.में)

अनुबद्ध समय सीमा के भीतर निर्माण या उत्पादन आरम्भ ना किया जाना

क्रमांक	निर्धारिती का नाम सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/निर्धारण की तिथि	विवरण	राजस्व प्रभार
1	मैसर्स बराई एयर (एशिया) प्रा.लि. **सीआईटी I, दिल्ली**	2003-04 2005-06	संवीक्षा/ फरवरी 2006 नवम्बर 2007	उपक्रम ने अपना परिचालन विगत वर्ष 1998-99 जो कि धारा 80 I बी के अन्तर्गत छूट का दावा करने हेतु अनुबद्ध नहीं था, में प्रारम्भ किया। इसके अतिरिक्त दो निर्धारण वर्षों के लिए फार्म सं. 10 सीसीबी में जरूरी लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी नहीं भेजी गई। विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2008) कि चूंकि निर्धारिती एक लघु औद्योगिक उपक्रम था तथा यह कि प्रारम्भ करने की तिथि जो लघु उद्योग उपक्रम (एसएसआई) पर लागू थी। यह भी बताया गया कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट दाखिल करना आवश्यक नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विगत वर्ष के अन्तिम दिवस पर संयंत्र तथा मशीनरी में सकल निवेश एक करोड़ से अधिक था तथा इस प्रकार औद्योगिक उपक्रम एसएसआई नहीं था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा रिपोर्ट को भेजना नियम 18 बीबीबी के साथ पठित धारा 80 I ए (7) के अनुसार आवश्यक है।	250.57
2	मैसर्स एलटेक एसजीएस लिमिटेड, **सीआईटी IV, दिल्ली**	2003-04 2004-05	संवीक्षा/ फरवरी 2006 संवीक्षा दिसम्बर 2006	औद्योगिक उपक्रम ने उत्पादन 15 मार्च, 1997 को प्रारम्भ किया। बाद में फार्म 10 सीसीबी में यह प्रमाणित किया गया कि यह कोई लघु उद्योग उपक्रम (एसएसआई) नहीं था। चूंकि उत्पादन अनुबद्ध समय सीमा के बाद आरम्भ हुआ था 469.29 लाख रूपए की छूट अनुमत किया जाना अनियमित था। विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2008) कि चूंकि निर्धारिती एक लघुस्तरीय औद्योगिक उपक्रम था, छूट का दावा सही रूप से किया गया था एवं अनुमति सही रूप से दी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि लेखापरीक्षक ने फार्म सं. 10 सीसीबी में प्रमाणित किया था कि औद्योगिक उपक्रम लघुस्तरीय औद्योगिक उपक्रम नहीं था।	229.82

3	मैसर्स शाह औरिजिनल्स **सीआईटी XXIV, मुम्बई**	2004-05	संवीक्षा/ दिसम्बर 2006	धारा 80 I बी के अन्तर्गत छूट अधिकतम 10 वर्षों तक अनुमत की जा सकती है। इस मामले में, निर्धारिती ने अपना उत्पादन जून 1992 में प्रारम्भ किया तथा वह आरम्भिक निर्धारण वर्ष 1993-94 से आरम्भ कर छूट का दावा केवल निर्धारण वर्ष 2002-03 तक करने के योग्य था। तथापि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2004-05 तक दावा किया और उसे छूट अनुमत की गई जो कि अनियमित था।	179.00
4	मैसर्स दिल्ली प्रैस पत्र प्रकाशन लिमिटेड, **सीआईटी I, दिल्ली**	2004-05	संवीक्षा दिसम्बर 2006	धारा 80 I बी (3) के अन्तर्गत छूट 10 वर्षों के लिए उपलब्ध है। इस मामले में निर्धारिती धारा 81 I बी (3) के अन्तर्गत छूट 10 वर्ष के लिए पहले ही ले चुका था। तथापि, निर्धारिती ने ग्यारहवे वर्ष के लिए गलत छूट का दावा किया और विभाग द्वारा उसे अनुमत किया गया। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (अगस्त 2008)।	112.40
5	मेसर्स इन्द्रयाणी फेरोकास्ट प्रा. लि. **सीआईटी I, पुणे**	2005-06	संवीक्षा दिसम्बर 2007	लेखापरीक्षा जांच में पता लगा कि निर्धारिती को लघु स्तरीय उद्योग मानते हुए लाभ प्रदान किए गए। यद्यपि संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश एक करोड़ रूपए की निर्धारित सीमा से अधिक था। चूंकि उपक्रम लघु स्तरीय उद्योग नहीं रहा था, वह धारा 80I बी के अन्तर्गत छूट के लिए योग्य नहीं था।	112.00

परिशिष्ट 12
(पैरा 2.8.5.2 देखें)

(लाख रू. में)

धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौती की गणना के लिए गिनी गई ग्राह्य कारबार से व्युत्पन्न न की गई आय

क्रमांक	निर्धारिती का नाम सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/निर्धारण की तिथि	विवरण	राजस्व प्रभाव
1	श्री सी गोपालन **सीआईटी I, बेंगलुरू**	2004-05	संवीक्षा/ दिसम्बर 2006	निर्धारिती ने योग्य लाभ आकलन करते हुए विकास के माध्यम से विक्रेताओं/भूमि स्वामियों को अदा किए गए अवितरित ब्याज के रूप में 5.41 करोड़ रू. तथा विविध आय के रूप में 57.27 लाख रू. नहीं घटाए थे। इन मदों को घटाने पर योग्य लाभ "शून्य" हो जाते। इस प्रकार 4.81 करोड़ रू. की छूट का प्रदान किया जाना अनियमित था।	211.01
2	श्री गोपालन इन्टरप्राइजेज **सीआईटी I, बैंगलुरू**	2004-05 2005-06	संवीक्षा/ दिसम्बर 2006 संवीक्षा/ दिसम्बर 2007	निर्धारिती ने योग्य लाभ का आकलन करते हुए विविध आय की राशि तथा विक्रेता/भूमि स्वामियों को हर फ्लैट के मालिक को अदा किया गया अवितरित ब्याज नहीं घटाया था। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए क्रमशः 1.34 करोड़ रू. तथा 2.74 करोड़ रूपए की अनियमित छूट प्रदान की गई।	196.34
3	मैसर्स स्टेरलाइट इन्डस्ट्रीज (इंड) लि. **सीआईटी III, चेन्नई**	2004-05	संवीक्षा/ दिसम्बर 2006	निर्धारिती धारा 80 I बी के अन्तर्गत छूट के दावों के लिए योग्य व्यापार लाभों का आकलन करते समय निर्माण क्रिया कलापों से ना प्राप्त की गई 2.91 करोड़ रू. की ब्याज आय को घटाना भूल गया था।	139.00
4	मैसर्स राज होम्स (प्रा.) लि., **सीआईटी भोपाल**	2004-05	संवीक्षा/ दिसम्बर 2006	लाभ में 1.99 करोड़ रूपए की वृद्धि जैसा कि फार्म 3 सीडी में प्रमाणित किया गया था निर्माणाधीन कार्य के मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के कारण थी ना कि फ्लैटों की बिक्री के कारण। इसके अतिरिक्त किसी भी परियोजना के सम्बन्ध में संपूर्णता प्रमाणपत्र नहीं भेजा गया था। इस प्रकार 2.85 करोड़ रूपए की सकल छूट नहीं दी जानी चाहिए थी।	135.98
5.	मैसर्ज शालीमार रेक्सिन प्रा. लि., **सीआईटी 3, पुणे**	2003-04 2004-05 2005-06	संवीक्षा/मार्च 2006 संवीक्षा/ दिसम्बर 2006 संवीक्षा/ दिसम्बर 2007	निर्धारती को लघु क्षेत्र उद्योग के रूप में लेते हुए लाभ प्रदान किया गया था यद्यपि संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश एक करोड़ रू. की निर्धारित सीमा से अधिक था। इस प्रकार 2.09 करोड़ रू. की सकल छूट अनुमत योग्य ना थी।	101.00

परिशिष्ट 13
(पैरा 2.9.2 देखें)

(लाख रू. में)

आवास परियोजनाओं में अयोग्य निर्धारितियों का अनुमत की गई छूट का लाभ

क्रमांक	निर्धारिती का नाम सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/निर्धारण का तिथि	विवरण	राजस्व प्रभाव
1	मैसर्स सिद्धार्थ फाउन्डेशन एण्ड हाऊसिंग लिमिटेड, **सीआईटी VI, चेन्नई**	2004-05	संवीक्षा/ दिसम्बर 2006	विकास शुल्क तथा लाइसैंस फीस लेने के बाद स्थानीय प्राधिकरण ने श्री सुरेश जैन को भवन बनाने के उद्देश्य से भूमि विकास करने की अनुमति प्रदान की गई थी तथा बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति तथा सेवा सम्बन्ध प्राप्त करने के उद्देश्य से उसे संपूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। इस प्रकार हर तरह से भवन निर्माण परियोजना के लिए श्री सुरेश जैन विकासक था तथा निर्धारिती फ्लेटों के विकासक/अन्तिम ग्राहक द्वारा निर्माण कार्य करने हेतु नामित ठेकेदार था। इस प्रकार मै. सिद्धार्थ फाउन्डेशन एण्ड हाऊसिंग लिमिटेड को प्रदत्त 6.24 करोड़ रूपए की छूट अनियमित थी।	241.00
2	मैसर्स एजी जोशी एण्ड कं. **सीआईटी I, पुणे**	2004-05 2005-06	संवीक्षा/ दिसम्बर 2006 संवीक्षा/ दिसम्बर 2007	दुकानों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का तैयार क्षेत्र 2000 स्कै.फी. जो कि निर्धारित सीमा से ज्यादा हो गया	199.00
3	मैसर्स तुंगवा डवलैपर्स **सीआईटी XV, मुम्बई**	2005-06	संवीक्षा/ अक्तूबर 2007	फार्म 10 सीसीबी के अनुसार परियोजना अभी निर्माणाधीन थी। इसलिए 3.54 करोड़ रू. की छूट का दिया जाना अनियमित था।	170.00
4	मै. जेम स्टार कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., **सीआईटी 9, मुम्बई**	2003-04 2004-05	संवीक्षा/ मार्च 2005	लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि भवन परियोजना में 2361 स्क्वेयर फीट के आकार की दुकानें थीं। क्योंकि दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बारे में प्रावधान निर्धारण वर्ष 2005-06 से ही लागू था, अप्रैल 2005 से पहले बनी व्यावसायिक दुकानों/प्रतिष्ठानों के लिए दावा की गई छूट अनियमित थी तथा अनुमत नहीं की जानी चाहिए थी। इस प्रकार परियोजना छूट के योग्य नहीं थी तथा कुल मिलाकर 3.93 करोड़ रू. की छूट का दिया जाना अनियमित था। विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2007) कि भवन परियोजना स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित थी, अनुमत की गई छूट सही थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मै. लौकिक डवलपर्स बनाम डीसीआईटी 3 थाने (105 आईटीडी 657) के मामले में आईटीएटी मुम्बई सी बैन्च निर्णय किया है कि अधिनियम की धारा 80 आई बी (10) के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से दुकानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण एक आवासीय परियोजना नहीं समझा जा सकता।	166.00

5	मै. कलकत्ता मैट्रोपोलिटन ग्रुप लि. **सीआईटी III, कोलकाता**	2005-06	संवीक्षा/ दिसम्बर 2006	सकल परियोजना का कुल व्यावसायिक क्षेत्र 2000 स्कै. फीट से अधिक है।	156.00
6	मै. बी के पाटे इन्टरप्राइजेज, **सीआईटी I, पूणे**	2005-06	संवीक्षा/ दिसम्बर 2007	प्लॉट का क्षेत्र एक एकड़ को निर्धारित निबन्धन से कम था।	128.00
7	मै. साबरी रीयलटोर्स, **सीआईटी XV, मुम्बई**	2005-06 2006-07	संवीक्षा/ मार्च 2007 संवीक्षा/ मार्च 2008	फार्म 10 सीसीबी के अनुसार परियोजना अभी निर्माणाधीन थी। इस प्रकार निर्धारण वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में निर्माणधीन काम पर क्रमशः 1.41 करोड़ रू. तथा 1.42 करोड़ रू. की छूट का प्रदान किया जाना अनियमित था।	123.00
8	मै. पदमिनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स (इंडिया) लिमिटेड, **सीआईटी V दिल्ली**	2003-04 2005-06	संवीक्षा/ मार्च 2005 सार जुलाई 2006	धारा 80 I बी (10) के अन्तर्गत छूट विकासक तथा विनिर्माता को उपलब्ध है। इस मामले में निर्धारिती मात्र निर्माता था ना कि विकासक। इसके अतिरिक्त फार्म सं. 10 सीसीबी में विगत दो वर्षों के लिए आवश्यक लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी नहीं भिजवाई गई थी। इस प्रकार निर्धारिती छूट का दावा करने योग्य नहीं था। विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2008) कि अधिनियम की धारा 147 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है।	113.39
9	मै. ब्रह्मा बिल्डर्स **सीआईटी II, पुणे**	2003-04 2004-05	संवीक्षा/ मार्च 2006 संवीक्षा/ दिसम्बर 2006	7831.08 स्कै. मी. की व्यावसायिक इकाइयाँ 2000 स्कै. फी. की निर्धारित सीमा से अधिक थीं तथा आवासीय इकाइयों का तैयार क्षेत्र भी 1500 स्कै/फीट के प्रतिमान से अधिक था।	110.00

परिशिष्ट 14
(पैरा 2.10.2 देखें)

(लाख रू. में)

लेखापरीक्षा रिपोर्ट नहीं भेजी गई

क्रमांक	निर्धारिती/सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	प्रकार/निर्धारण की तिथि	राजस्व प्रभाव
1	आटोलिव आइएफबी इंडिया (पी) लि **सीआईटी IV, कोलकाता**	2004-05	संवीक्षा/ दिसम्बर 2006	348.33
2	मै. इट्टिनिया प्रोपर्टिज लि. तथा मै. इट्टिनिया हाउसिंग लि. **सीआईटी I , बेंगलुरू**	2004-05	संवीक्षा/ दिसम्बर 2006	319.00
3	मै. राज होम्स (प्रा.) लि. **सीआईटी , भोपाल**	2005-06	संवीक्षा/ दिसम्बर 2007	290.00
4	मै. निप्पो बैटरीज **सीआईटी III, चैन्नई**	2003-04	संवीक्षा/ मार्च 2006	227.00
5	मै. बासापैनी आयरन लि., **सीआईटी, सम्बलपुर**	2003-04 2004-05	संवीक्षा/ फरवरी 2005 संवीक्षा/ दिसम्बर 2005	164.25
6	मै. उड़ीसा स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, **सीआईटी , भुवनेश्वर**	2006-07	सार/ मार्च 2008	162.66
7	मै. प्लास्टिब्लैन्ड्स इंडिया लि. **सीआईटी VIII, मुम्बई**	2003-04	संवीक्षा/ अगस्त 2005	149.00
8	मै. हाइड्रो एस एण्ड एस इंड. प्रा. लि., **सीआईटी I, चैन्नई**	2003-04 2004-05	संवीक्षा/ मार्च 2006 संवीक्षा/ दिसम्बर 2006	140.78
9	मै. टाईड वाटर आयल कं. (इन्डिया) लि., **सीआईटी II, कोलकाता**	2003-04	संवीक्षा/ मार्च 2006	122.00

परिशिष्ट 15
(पैरा 2.15.2 देखें)

(लाख रू. में)

संवीक्षा के प्रतिमानों का अनुपालन नहीं किया गया

क्रमांक	निर्धारिती का नाम सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	निर्धारण का प्रकार/ निर्धारण की तिथि	दावा की गई 80 I बी की छूट की राशि
1	मै. इशान टैक्नोलोजीज (प्रा) लि. **सीआईटी, शिलांग**	2004-05	संक्षिप्त/ अक्तूबर 2004	2754.37
2.	मै. फिनोलैक्स केवल्स लि.[3] **सीआईटी V, पुणे**	2006-07	संक्षिप्त / नवम्बर 2006	513.43
3	मै. रामा इन्डस्ट्रीज **सीआईटी XV, मुम्बई**	2006-07	संक्षिप्त / अप्रैल 2007	334.00
4	मै. सोनिगरा कन्स्ट्रक्शन कं.[3] **सीआईटी V पूणे**	2006-07	संक्षिप्त / अक्तूबर 2007	314.62
5	मै. खत्री फ्रैग्नैन्सेस **सीआईटी II, कानपुर**	2005-06	संक्षिप्त / मार्च 2007	301.93
6	मै. मेहता फ्लैक्स प्रा. लि. **सीआईटी VIII, मुम्बई**	2003-04	संक्षिप्त / नवम्बर 2003	263.00
7	मै. पद्मिनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स (आई) लि. **सीआईटी V, दिल्ली**	2005-06	संक्षिप्त / जुलाई 2006	255.00
8	मै. मार्टिन बर्न्स लि. **सीआईटी II, कोलकाता**	2005-06	संक्षिप्त/ जुलाई 2006	235.00
9	श्रीमति पुष्पलता अग्रवाल **सीआईटी XIV, मुम्बई**	2005-06	संक्षिप्त / मार्च 2007	195.89
10	मै. फैन्सी फिटिंग्स लि. **सीआईटी II, मुम्बई**	2005-06	संक्षिप्त / मार्च 2006	162.43
11	मै सन ट्रान्सटैम्प प्रा. लि. **सीआईटी IX, मुम्बई**	2005-06	संक्षिप्त / नवम्बर 2006	141.48
12	मै एसपी स्प्रिंग्स लि. **सीआईटी I, दिल्ली**	2005-06	संक्षिप्त / फरवरी 2006	139.92
13	मै. विलहेल्म टैक्सटाइल (आई) प्रा. लि. **सीआईटी VI, दिल्ली**	2005-06	संक्षिप्त / सितम्बर 2006	123.83

[3] लेखापरीक्षा में बताए जाने के बाद, ये मामले संवीक्षा हेतु चुन लिए गए हैं तथा निर्धारण किए जा रहे हैं।

परिशिष्ट-16

आय कर विभाग की ई-टीडीएस प्रणाली की आईटी लेखापरीक्षा

(पैराग्राफ सं0. 3.1.4)

चुनी गई डोमेन/उच्च स्तरीय नियंत्रण उद्देश्य	
भू-सम्पत्तियां	**उच्च स्तरीय कोबिट नियंत्रण उद्देश्य**
अधिग्रहण एवं कार्यानवयन	स्वतः हल की पहचान करना
	अनुप्रयोग साफ्टवेयर का अधिग्रहण एवं अनुरक्षण
	क्रियाविधियाँ विकास तथा अनुरक्षित करना
	परिवर्तनों का प्रबन्ध करना
सुपुर्दगी एवं सहायता	सेवा स्तर परिभाषित करना
	तृतीय पक्ष सेवाओं का प्रबन्ध करना
	सतत सेवा सुनिश्चित करना
	प्रणाली सुरक्षा सुनिश्चित करना
	उपयोक्ताओं को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना
	समस्याओं एवं घटनाओं का प्रबन्ध करना
	डाटा का प्रबन्ध करना
	प्रचालनों का प्रबन्ध करना
मॉनीटरिंग	प्रक्रिया मॉनीटर करना

परिशिष्ट– 17
(पैराग्राफ सं. 3.2.1.1)
उचन्त में राशि के विवरण

(लाख रू.में)

प्रभार	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
दिल्ली						
उचन्त में कुल राशि	15536.02	12073.39	13047.74	33047.74	68979.61	109260.17
आधार वर्ष 2002-03 के प्रति वृद्धि की प्रतिशतता	100	(-) 22	(-) 16	113	344	603
चालानों की संख्या	15247	11557	22540	57505	81845	91556
मुम्बई						
उचन्त में कुल राशि	17943.96	35330.77	184958.09	72901.92	86766.96	उ.न.
आधार वर्ष 2002-03 के प्रति वृद्धि की प्रतिशतता	100	97	931	306	384	उ.न.
चालानों की संख्या	3969	4776	392610	124222	112795	उ.न.
कर्नाटक*						
उचन्त में कुल राशि	उ.न.	30.25	126713.81	20510.75	13390.64	10506.68
आधार वर्ष 2003-04 के प्रति वृद्धि की प्रतिशतता	-	100	418789	67704	44167	34633
तमिलनाडु*						
उचन्त में कुल राशि	2329	2824	10000	16400	उ.न.	उ.न.
आधार वर्ष 2002-03 के प्रति वृद्धि की प्रतिशतता	100	21	329	604	-	-
गुजरात*						
उचन्त में कुल राशि	उ.न.	84.03	83.58	112.35	157.07	316.20
आधार वर्ष 2003-04 के प्रति वृद्धि की प्रतिशतता	-	100	(-) 1	34	87	276
आन्ध्र प्रदेश						
उचन्त में कुल राशि	827.24	1156.08	892.87	7811.72	8514.83	20284.82
मूल वर्ष 2002-03 के प्रति वृद्धि की प्रतिशतता	100	40	8	844	929	2352

* प्रदत्त न किए गए चालानों की वर्षवार संख्या

परिशिष्ट – 18
(पैराग्राफ सं. 3.4.3.1.)

100 रू. अथवा अधिक की मांग के मामले गलत छोड़ने के मामले दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	प्रभार	कटौती कर्ता का नाम	आर आर आर सं.	टी ए एन सं.	विवरणी वित्तीय वर्ष	फार्म सं. एवं आवधिकता
वे मामले जिनमें मांग 100 रू. से अधिक है परन्तु सिस्टम ने मांग छोड़ दी						
1	दिल्ली	ओरिएन्ट सेरेमिक्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10120100073775	डी ई एल ओ 00049ए	2007-08	26 क्यू प्रथम तिमाही
2	चेन्नई	स्टर्लिंग होलिडे रिसोटर्स इण्डिया	30040600060516	सी एच ई एस 01325सी	2008-09	26क्सू द्वितीय तिमाही
वे मामले जिनमें कोई मांग नहीं है परन्तु सिस्टम ने मांग छोड़ने का संदेश दर्शाया						
3	चेन्नई	रायला कार्पोरेशन प्रा0 लि0	30041900091184	सीएचईआर06505 सी	2007-08	26 क्यू प्रथम तिमाही
वे मामलें जिनमें मांग 100 रू. से कम है और कारण बताओं नोटिस सृजित हुआ						
4	मुम्बई	दीवान आवास वित्त निगम लिमिटेड़	30110200062644	एमयूएमडी 09790ई	2006-07	24 क्यू चौथी तिमाही
5	मुम्बई	फोर्ड क्रेडिट कोटक महिन्द्रा लि0	30200300053825	एमयूएमएफ 01743ए	2006-07	26 क्सू द्वितीय तिमाही
6	मुम्बई	कार्पोरेशन बैंक माटुंगा	30510100104271	एमयूएमसी 1119डी	2006-07	27 क्यू चौथी तिमाही

परिशिष्ट – 19
(पैराग्राफ सं0. 3.4.3.3)
उन मामलों की सूची जिनमें अवैध/गुम पैन रिपोर्ट में विसंगति है

क्र.सं.	आरआरआर सं.	कटौती किए जाने वाले का नाम
वे मामले जिनमें पैन उपलब्ध नहीं था और उन्हें अवैध/गुम पैन रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था		
सर्किल 51(1) आरआरआर वित्तीय वर्ष 2007-08		
1	10100500040610	शुभ मीडिया, रमन भाटिया, अहमद एन्टरप्राइजेज
सर्किल 51(1) आरआरआर वित्तीय वर्ष 2006-07		
2	10270200054671	रिपोर्ट सृजित नहीं हुई हालांकि पैन में त्रुटि विद्यमान थी
3	10270300017250	- वही -
4	12460100017536	- वही -
5	11420100033333	- वही -
6	10101300152296	- वही -
7	10101300154890	अभिषेक मार्बल्स, इकोनोमी इण्डिया, जय जालाराम कॉटन इंड.
8	12460100016490	रिपोर्ट सृजित नहीं हुई हालांकि पैन में त्रुटि विद्यमान थी
9	10270300021645	मोनिका अरोड़ा
10	12460100017120	रिपोर्ट सृजित नहीं हुई हालांकि पैन में त्रुटि विद्यमान थी
11	10270200056830	- वही -
12	13470100008573	अमरदीप टैक्सी सर्विसेज
पैन वैध दर्शाया गया परन्तु दिल्ली के पैन डाटाबेस में उसकी पुष्टि नहीं की गई		
सर्किल 51(1) आरआरआर वित्तीय वर्ष 2007-08		
	10100500040610	v. इमेज ग्रुप (एबीआरपीवी 6987 एफ)
	10100500040610	बिहार राफिया इंडस्ट्रीज लि. (एएबीसीवी 0710 सी)
	10100500040610	ब्ल्यू डार्ट एक्सप्रेस लि0 (एएएसीबी 0446 एल)
सर्किल 51(1) आरआरआर वित्तीय वर्ष 2006-07		
	10101300154890	ग्रीन करियर्स एण्ड कान्ट्रेक्टर्स (एएडीएफजी 0296ए)
	12460100016490	दा राजपुताना स्टोर्स प्रा0लि0 (एएबीसीटी 7041सी)
	12460100016490	ओ पी बागला एण्ड कं0 (एएएएफडी 1030ए)
	12460100016490	मेरठ पेकेजिंग इंड. (एएबीएफएम 3369 डी)
	12460100016490	प्रियंका आर्ट सर्विस (एबीडब्ल्यूबीएस 3832एम)
	12460100016490	मास्टर राजेश आर्ट सर्विस (एबीडब्ल्यूएएस 3833 एल)
	10270200056830	डेक्सट्रोअस एक्सिम सर्विस प्रा0 (एएवीसीडी 2566ओ)
	10270200056830	सिटि सर्विसेज (एएएएफसी 5626 ओ)
	10270200056830	कोशिक ब्रदर्स (एओयूपीएस 4028 जी)
	10270200056830	अशोक कनोडिया (एएबीपीके 0752 जी)
	10270200056830	प्रदीप कनोडिया एच.यू.एफ (एएफएसपीके 9367 डी)
	10270200056830	सीक्योरवैल कंजरवेन्सी सर्विसेज (एजीएलपीके 3472 सी)
	10270200056830	एसोसिएटेड रोड केरियर्स (एएसीसीए 4861 सी)
	10270200056830	एमएस टूर्स एण्ड ट्रेबल्स (एएक्सएपीएस 2919 आर)
	10270200056830	डीएचएल एक्सप्रैस (I) प्रा.लि.(एएबीसीडी 3611 क्यू)
	10270200056830	फिनिशिंग टच (एएफसीपीएस 4002 बी)
	10270200056830	प्रतीप रोडवेज प्रा0लि0 (एएडीसीटी 8193 पी)
	10270200056830	न्यूरल सिस्टम्स (एएबीएफएन 1324 के)
	10270200056830	सुधीर गर्ग एण्ड कं. (एसीएफपीजी 7932 सी)
	10270200056830	पी के कटियार (एएडीपीके 2753 के)
	10270200056830	विपटेक पेरिफेरल्स (एएएसीयू 5307 के)
	10270200056830	कम्प्यूटर टच (एएएएफसी 6623 आर)
	10270200056830	नोएडा एंड एजेन्सी (एडब्ल्यूटीपीएस 5769 एच)
	10270200056830	यू एल इण्डि प्रा.लि. (एएएसीयू 2468 एफ)
	10270200056830	विल्डनेट टेकनॉलोजीस (एएएएफडब्ल्यू 7469 एफ)

	13470100008573	गोर्डन वुडरॉफ
	13470100008573	डावर टेम्पो सर्विस
वे मामले जिनमें पैन कटौती किए जाने वाले के विवरण में उपलब्ध था तथा एआईएस (आरसीसी दिल्ली) में उपलब्ध था तथा गलती से अवैध/गुम रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया था।		
	70461300046734	आरडी हाऊसिंग प्रा.लि. (एएएसीए 3096 के)
	70461300046734	स्पैक्ट्रा नेट प्रा.लि. (एएबीसीएस 1618 एन)
	70461300046734	स्काईमार्क ट्रेव इण्डिया प्रा.लि.(एएबीसीएस 7648 एल)
	70461300046734	जेएमडी मेंटेनेंस सर्विसेज प्रा.लि.(एएबीसीजे 1827 ए)
	70461300046734	बिजनेस न्यूज एण्ड इनफारमेशन सर्विसेज प्रा. (एएएसीबी 5323 जे)
	70461300046734	ग्रुप 4 सिक्योरिटीस गार्डिंग लि. (एएएसीजी 1625 क्यू)
	70461300046734	एस एस एन्टरप्राईसेस (एएईएफएस 5893 एफ)
	70461300046734	ओवरसीज कोरियर सर्विसेज इण्डिया प्रा.लि. (एएएसीओ 0254 डी)
	70461300046734	डिटेक्टिव एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज (एएबीपीएल 0555 सी)
	70461300046734	प्रीमियर इंटरनेशनल (एएएचपीबी 8434 ई)
	70461300046734	एचसीएल इनफिनेट लि. (एएएसीएच 7784 एच)
	70461300046734	टेटरा इनफारमेशन सर्विसेज प्रा.लि. (एएएसीटी 5118 पी)
	70461300046734	मयुर बत्रा एण्ड कं. (एईडब्ल्यूपीबी 7677 एन)
	70461300046734	मीरा महूबेनी (एएक्यूपीएम 9410 जे)
	70461300046734	हीरा प्रोजेक्टस एण्ड डिवेलपर्स प्रा.लि.(एएबीसीएच 6208 बी)
	70461300046734	रानी साहनी (एबीएपीएस 6303 बी)

परिशिष्ट – **20**
(पैराग्राफ 3.4.4.1)

बल्क प्रक्रियाकरण के अन्तर्गत शुंरू की गई विवरणियों तथा बल्क प्रक्रियाकरण में चूक के अन्तर्गत विवरणियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	जोड़
प्राप्त ई-विवरण							
दिल्ली	10557	25510	26535	77651	87782	54292	282327
कर्नाटक	6999	15731	17049	51439	60647	37319	189184
कुल प्राप्त ई-विवरणियां	17556	41241	43584	129090	148429	91611	471511
बल्क के अन्तर्गत शुरू की गई विवरणियां							
दिल्ली	2103	7261	9985	49519	45069	15904	129841
कर्नाटक	शून्य	शून्य	1416	6458	22046	1893	31813
बल्क के अन्तर्गत शुरू की गई कुल विवरणियां	2103	7261	11401	55977	67115	17797	161654
धारा 201 (1)/206 सी(7) के अन्तर्गत चूक वाली विवरणियां							
दिल्ली	2055	6999	8596	39011	24220	3575	84456
कर्नाटक	उ न	उ न	1218	4795	11714	182	17909
चूक वाली कुल विवरणियां	2055	6999	9814	43806	35934	3757	102365

परिशिष्ट-21
(पैराग्राफ सं. 3.4. 4.1)

दोषों के बिना प्रक्रियागत विवरणियों को बन्द न करने वाले मामले दर्शाने वाला विवरण

प्रभार	धारा 201 (1)/206 सी के अन्तर्गत बिना किसी चूक तथा धारा 272 बी/139 (5बी) के अन्तर्गत शास्ति के लिए बिना किसी चूक के लिए प्रक्रियागत ई-टीडीएस विवरणियां	ई-टीडीएस विवरणी बन्द[1] कर दी गई	प्रतिशतता
चेन्नई	50481	259	0.51
दिल्ली	16450	178	1.08
कर्नाटक	4416	0	0.00
जोड़	**71347**	**437**	**0.66**

[1] संबंधित आरएफवाई के लिए "विवरणी आस्थिति रिपोर्ट" के साथ "प्रश्न बल्क प्रक्रियाकरण प्रास्थिति स्क्रीन" की तुलना

परिशिष्ट- 22
(पैराग्राफ सं. 3.4. 4.2)

निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त तथा प्रक्रियाकृत की गई ई-टीडीएस विवरणियां

प्रभार	वर्ष						कुल
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	
दिल्ली							
प्राप्त ई विवरणियां	10557	25510	26535	77651	87782	54292	282327
एओ द्वारा प्रक्रियाकरण हेतु शुरू की गई ई-विवरणियां	1083	2467	1343	201	5682	213	10989
प्रक्रियाकरण की प्रतिशतता	10.26	9.67	5.06	0.26	6.47	0.39	3.89
मुम्बई							
प्राप्त ई विवरणियां	33081	72751	78082	246285	306680	154621	891500
एओ द्वारा प्रक्रियाकरण हेतु शुरू की गई ई-विवरणियां	4519	1944	332	9498	21806	678	38777
प्रक्रियाकरण की प्रतिशतता	13.66	2.67	0.43	3.86	7.11	0.44	4.35
चेन्नई							
प्राप्त ई विवरणियां	10800	24150	29992	85844	103520	89351	343657
एओ द्वारा प्रक्रियाकरण हेतु शुरू की गई ई-विवरणियां	118	935	25167	26846	41204	4548	98818
प्रक्रियाकरण की प्रतिशतता	1.09	3.87	83.91	31.20	39.8	5.09	28.75
कोलकाता							
प्राप्त ई विवरणियां	1656	41548	15523	70277	105038	99702	333694
एओ द्वारा प्रक्रियाकरण हेतु शुरू की गई ई-विवरणियां	40	1225	475	6666	17354	22929	48689
प्रक्रियाकरण की प्रतिशतता	2.42	2.95	3.06	9.49	16.52	23	14.59
गुजरात							
प्राप्त ई विवरणियां	उ.न.	7587	23450	43273	69668	41800	185778
एओ द्वारा प्रक्रियाकरण हेतु शुरू की गई ई-विवरणियां	उ.न.	4	1328	4284	9509	01	15126
प्रक्रियाकरण की प्रतिशतता		0.05	5.66	9.9	13.65	0.0	8.14
आन्ध्र प्रदेश							
प्राप्त ई विवरणियां	548	3248	3605	82106	99650	57795	246952
एओ द्वारा प्रक्रियाकरण हेतु शुरू की गई ई-विवरणियां	0	266	249	181	6729	12829	20254
प्रक्रियाकरण की प्रतिशतता	0	8.19	6.90	0.22	6.75	22.20	8.20
कर्नाटक							
प्राप्त ई विवरणियां	6999	15731	17049	51439	60647	37319	189184
एओ द्वारा प्रक्रियाकरण हेतु शुरू की गई ई-विवरणियां	0	0	0	247	188	24	459
कुल-प्राप्त ई विवरणियां	**63641**	**190525**	**194236**	**656825**	**832985**	**534880**	**2473092**
एओ द्वारा प्रक्रियाकरण के लिए शुरू की गई कुल ई-विवरणियां	**5760**	**6841**	**28894**	**47923**	**102472**	**41222**	**233112**
प्रतिशतता	**9.05**	**3.59**	**14.88**	**7.30**	**12.30**	**7.71**	**9.43**

परिशिष्ट- 23
(पैराग्राफ सं. 3. 4. 4.2 (i))

(करोड़ रूपयों में)

2002-03 से 2006-07 की अवधि के लिए सरकारी लेखाओं में कर कम जमा कराने की विवरणी

प्रभार	कुल अभिलेख	कम जमा वाले अभिलेखों की सं.	अन्तर की रेंज	कुल कम जमा
वेतन विवरणियां[1]				
दिल्ली	2770903	40034	1 से 337484	15.86
मुम्बई	6756187	4801	1 से 5177761	10.32
आन्ध्र प्रदेश	1920951	3432	1 से 678000	0.99
चेन्नई	2134826	8021	1 से 750900	6.97
जोड़	**13582867**	**56288**		**34.14**
गैर वेतन विवरणियां[2]				
चेन्नई	--	12881471	1 से 323262203	2965.85
कुल जोड़	**13582867**	**12937759**		**2999.99**

[1] तालिकाः टी _ सीएचएलएन _ ब्रेकअपःकॉलमों का अन्तर "टीडीएस" एवं "कर _ डीईपीटी

[2] तालिकाः टी _ टीडीएस _ ट्रॉंसः कॉलमों का अन्तर"टीडीएस _ टीसीएस _ डीडीई एवं "कर _ डीपीएसटी"

परिशिष्ट- 24
(पैराग्राफ सं. 3.4. 4.2 (ii))

(करोड़ रूपयों में)

तालिकाः टी _ विवरणी से निर्दिष्ट विलम्बित फाईलरों पर शास्ति के अनुद्ग्रहण के मामले दर्शाने वाला विवरण

प्रभार	विवरणियों की कुल सं.	विवरणियां जिन पर देर से फाईलिंग का आरोप है	दिनों में विलम्ब	राशि[1]
दिल्ली	613796	267245	1 to 1516	94.88
मुम्बई	918255	546067	1 to 1346	248.26
आन्ध्र प्रदेश	50228	24421	1 to 1370	17.78
चेन्नई	278721	158747	1 to 1091	122.68
जोड़	**1861000**	**996480**		**483.60**

[1] टीडीएस की अधिकतम राशि की शर्त पर 100 रू. प्रति दिन की दर पर

परिशिष्ट-25
(पैराग्राफ सं. 3.4. 4.2 (iii))
(क) दिल्ली प्रभार

तालिका : टी _ टीडीएस _ ट्राँस से निर्दिष्ट टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए चूकों के मामले में शास्ति का उद्ग्रहण न करने वाली विवरण

(करोड़ रूपयों में)

विवरणी वित्तीय वर्ष	कटौती किए जाने वालों की सं.			सत्यापित किए गए उन अभिलेखों की संख्या जिनमें शास्ति विद्यमान है	शास्ति	सत्यापित न किए गए उन अभिलेखों की संख्या जहां शास्ति विद्यमान है	शास्ति	कुल शास्ति[1]
	सत्यापित	असत्यापित	जोड़					
2002-03	283710	6010197	6293907	136743	15.05	2506541	251.01	266.07
2003-04	790378	9245619	10035997	427230	43.09	5089591	510.12	553.21
2004-05	1133723	9544119	10677842	714219	78.36	5551135	586.15	664.50
जोड़	**2207811**	**24799935**	**27007746**	**1278192**	**136.50**	**13147267**	**1347.28**	**1483.78**

ख) अन्य प्रभार

(करोड़ रूपयों में)

प्रभार	कुल अभिलेख	त्रुटि वाले अभिलेखों की संख्या	शास्ति
आन्ध्र प्रदेश[2]	2899241	296760	35.15
चेन्नई	25793384	2836148	281.85
	28692625	3132908	317.00

[1] आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 ए (2) (जी) के अन्तर्गत उस अवधि के लिए जिसमें विफलता जारी है हर रोज़ के लिए एक सौ रूपए की राशि की शास्ति

[2] आरसीसी विशाखापत्तनम

परिशिष्ट-26

(पैराग्राफ सं. 3.4. 4. 2 (iv))

टीडीएस देर से जमा कराने के लिए चूक के मामलों में ब्याज के अनुद्ग्रहण के मामले दर्शाने वाला विवरण

I) वेतन मामले[1]

(करोड़ रूपयों में)

प्रभार	विवरणियों की कुल संख्या	वे विवरणियां जिन पर देर से जमा करने का दोष है	महीनों में विलम्ब	उद्ग्राह्य ब्याज[2]
दिल्ली	2770903	715219	1 to 26	10.18
मुम्बई	6756187	399443	1 to 27	7.41
जोड़	**9527090**	**1114662**		**17.59**

II) गैर वेतन मामले[3]

क) दिल्ली प्रभार (मामलों की कुल सं. 5.56 करोड़)

(करोड़ रूपयों में)

विवरणी वित्तीय वर्ष	कटौती किए जाने वालों की संख्या जहां ब्याज के अनुद्ग्रहण का दोष है	सत्यापित किए गए उन अभिलेखों की संख्या जिनमें चूक विद्यमान है	उद्ग्राह्य ब्याज	सत्यापित न किए गए उन अभिलेखों की संख्या जहां शास्ति विद्यमान है	उद्ग्राह्य ब्याज	उद्ग्राह्य कुल ब्याज[2]
2002-03	994178	37407	0.31	956771	6.14	6.45
2003-04	1710851	122894	0.70	1587957	7.43	8.13
2004-05	1792864	172257	0.73	1620607	8.41	9.14
2005-06	1758265	1309313	6.70	448952	2.06	8.76
2006-07	3577708	572793	4.96	3004915	13.22	18.18
2007-08	565953	126834	0.74	439119	1.96	2.70
जोड़	**10399819**	**2341498**	**14.14**	**8058321**	**39.22**	**53.36**

ख) अन्य प्रभार

(करोड़ रूपयों में)

प्रभार	विवरणियों की कुल संख्या	वे विवरणियां जिन पर देर से जमा करने का दोष है	महीनों में विलम्ब	उद्ग्राह्य ब्याज[2]
आन्ध्र प्रदेश[4]	2899241	285545	1 से 28	2.13
चेन्नई	33787546	207947	1 से 40	15.15
गुजरात	1832196	1832157	1 से 28	16.06
जोड़	**38518983**	**2325649**		**33.34**

[1] तालिकाःटी _ चालान _ब्रेकअप

[2] आयकर अधिनियम 1961 की धारा, 201 (1ए) के अन्तर्गत

[3] तालिकाः टी_टीडीएस_ ट्रॉंस

[4] आरसीसी विशाखापत्तनम

परिशिष्ट- 27
(पैराग्राफ सं. 3.4. 4.2) (v)

(करोड़ रूपयों में)

पैन उल्लिखित न करने के लिए शास्ति सूचित न करने के मामले दर्शाने वाला विवरण

प्रभार[1]	कुल मामले	"पैन आवेदित" मामलों की संख्या	"पैन उपलब्ध" नहीं मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें पैन का उल्लेख नहीं किया गया	पैन का उल्लेख न करने वालों का जोड़ (4 +5)	शास्ति[2] करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	2770903	93480	823318	231	268757[3]	268.75
आन्ध्र प्रदेश	1920951	153725	369240	731	369971	369.97
मुम्बई	6756187	151134	3003167	2120	3005287	3005.29
चेन्नई[4]	-	-	-	43800	43800	43.80
गुजरात	12195215	255471	2574438	2597461	5171899	5171.90
जोड़	**23643256**	**653810**	**6770163**	**2644343**	**8859714**	**8859.71**

[1] दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश एवं मुम्बई प्रभारों के संबंध में तालिका टी _ सीएचएलएन _ ब्रेकअप से निर्दिष्ट मामले तथा चेन्नई प्रभार में तालिका टी _ टीडीएस ट्रॉंस एवं टी _ एफ 24 _ टीडीएस _ ट्रॉंस तथा गुजरात प्रभार में टी-टीडीएस-ट्रॉंस

[2] आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272 बी के अन्तर्गत पैन का उल्लेख न करने के लिए 10,000 रूपए की शास्ति

[3] व्यक्तिगत कटौती किए जाने वालों के नाम पर 823549 मामले घटा कर 268757 कर दिए गए थे

[4] तालिका टी _ टीडीएस _ ट्रॉंस में 34029 मामले तथा टी _ एफ 24 _ टीडीएस _ ट्रॉंस में 9771 मामले

परिशिष्ट- 28
(पैराग्राफ सं. 3.4. 4.2 (vi))
शास्ति कार्रवाई शुरू न करने के मामले दर्शाने वाला विवरण

विवरणी वित्तीय वर्ष	उन विवरणियों की संख्या जिनमें शास्ति की कार्रवाई शुरू की जानी थी	उन विवरणियों की संख्या जिनमें शास्ति शुरू की गई	प्रतिशतता	उन विवरणियों की संख्या जिनमें शास्ति लगाई गई
2002-03	1526	264	17	उ.न.
2003-04	4201	285	7	उ.न.
2004-05	5319	10	0.19	उ.न.
2005-06	37715	15	0.03	0
2006-07	29811	132	0.44	0
2007-08	8493	2	0.02	0
जोड़	**87065**	**708**	**0.81**	**0**

शब्दावली

नौपरिवहन और संबंधित क्षेत्रों के लिए छूटों, कटौतियों और अनुमतियों पर समीक्षा

बेयर वोट किराए पर लेनाः एक पोत को एक अनुबद्ध अवधि के लिए उन शर्त्तों पर किराए पर लेना जिनसे अवक्रेता को पोत के मास्टर एवं कर्मीदल की नियुक्ति, एवं सभी परिचालन व्यय देने के अधिकार सहित पोत का कब्जा एवं नियन्त्रण मिल जाता है।

बेयर वोट किराए पर लेना एवं हस्तान्तरण करनाःएक बेयर वोट किराए पर ली जाती है जहां पोत का स्वामित्व एक अनुबद्ध अवधि के पश्चात् उस कम्पनी को हस्तांतरित कर दिया जाता है जिसे यह किराए पर दी गई है।

अवक्रेताः एक व्यक्ति अथवा फर्म जो पोत को सामान अथवा यात्रियों अथवा दोनों को ढ़ोने के लिए किराए पर लेता है।

नौभारिक संविदाः पोत स्वामी हमेशा पोतवणिकों का सामान सीधे तौर पर अपने पोत में नहीं ले जाते। वे केवल अपना पोत दूसरे पक्ष (अवक्रेता) को किराए पर दे सकते हैं जो तत्पश्चात् पोतवणिक के साथ एक माल संविदा का अनुबन्ध करते हैं। क्योंकि पोत स्वामी एवं अवक्रेता के मध्य उनके अधिकार एवं दायित्व नौभारिक संविदा से शासित होंगे। किराया या तो एक समयावधि के लिए जो समय किराया अथवा हस्तांतरण अथवा बेयरबोट किराया अथवा समुद्री यात्रा किराया के रूप में जाना जाता है ।

निकासी एवं अग्रेषण एजेंटः वे सीमा शुल्क गृह एजेंट अथवा सीएचएज के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा आयोजित परीक्षा पास करने के पश्चात् सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 146 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करना होता है।

लागत, बीमा एवं मालभाड़ा (सीआईएफ): लागत, बीमा एवं मालभाड़ा (सीआईएफ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की बिक्री का शब्द है जिसमें, बिक्रेता/निर्यातक उद्धृत मूल्य में माल की निकासी नौभार पत्तन तक प्राप्त करता है (गन्तव्य तक नहीं) अर्थात निकासी की लागत विक्रेता द्वारा वहन की जाती है।

प्रायः आयातक सीआईएफ शब्द को अधिमान देते हैं जब उन्हें कम मात्रा में माल भाड़ा देना होता है। उस अवस्था में यह आसान है कि उनके पूर्तिकर्ता मालभाड़ा एवं बीमा विवरण जुटाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। आयातक माल वाहन के चयन रास्ता एवं अन्य पोत परिवहन निर्देश आदि के नियन्त्रण से मुक्त रहता है। यहां सुविधा को विस्तृत पोत भार नियन्त्रण एवं सम्बद्ध माल भाड़ा बचत पर अधिमान दिया जाता है। क्योंकि समुद्र पार आपूर्तिकर्ताओं की संख्या एवं समग्र मालभाड़े की मात्रा समस्या पोतभार की सटीक सूचना प्राप्त करने में वृद्धि होती है क्योंकि समुद्र पार आपूर्तिकर्ता मार्ग में विकसित होने वाले सेवा मुद्दों को निपटाने की अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं।

अमुक्त भाड़ा अथवा मृत भाड़ाः एक दलाल अथवा अवक्रेता द्वारा सुरक्षित किया गया स्थान एक पोत में कार्गो लादने अथवा किसी वजह अथवा दूसरी से उपयोग नहीं किया गया हो।

अत्यधिक भार अथवा अत्यधिक भार क्षमता अथवा अत्यधिक टन भारः कुल भार जो एक पोत, कार्गो, रसद, ईंधन स्टोर्स, तलघर, चालक दल, अतिरिक्त, आदि सहित..... अपनी पल्मीसोल रेखा अथवा चिन्ह तक ले जा सकती है। वैकल्पिक रूप में डीडब्ल्यूटी का अर्थ रिक्त एवं भरे हुए विस्थापन के मध्य अन्तर होता है।

विलम्बनः समुद्री यात्रा नौभारिक संविदा में अनुमत समय सीमा के अन्दर लदान पूरा करने और/अथवा खाली करने में असफल रहने पर पोत स्वामी को अवक्रेता अथवा पोतवणिक द्वारा दी गई राशि।

एफओसी अथवा एफ.ओ.सीः सुविधा की पताका ।

बोर्ड पर निःशुल्कः बोर्ड पर निशुल्क (एफओबी) एक व्यापारिक शब्द है जिसमें उद्धृत मूल्य के लिए विक्रेता/निर्यातक माल की निर्यात के लिए निकासी करता है एवं माल को सुपुर्दगी के पोत पत्तन तक सुपुर्द करने की लागत एवं जोखिम का उत्तरदायी होता है अर्थात खरीददार निकासी की लागत वहन करता है।

बोर्ड पर निःशुल्क खरीददारी के सीआईएफ पर दो फायदे हैं, अधिक प्रतिस्पर्धी मालभाड़ा दरें एवं विस्तृत पोत परिवहन नियन्त्रण। जब पोत परिवहन सीआईएफ के माध्यम से होता है, समुद्र पार आपूर्तिकर्ता परिवहन एवं बीमा जुटाने के लिए प्रदान की गई अतिरिक्त सेवा के लिए अपनी मालभाड़ा लागत को बढ़ाने में रूचि रखते हैं जबकि एफओबी में क्रेता अपने परिवहन एवं बीमा प्रदाता का चयन कर सकता है। समुद पार पोत परिवहन पत्तन माल जब यह पोत की पटरी पार करे तो स्वामित्व लेकर अपनी रूचि के तीसरे पक्ष के साथ संभार तन्त्र प्रदाता के रूप में कार्य करके आयातक सटीक एवं समय पर पोत परिवहन सूचना प्राप्त करने की अच्छी स्थिति में होते हैं एवं इस प्रकार आश्वसत रहते हैं कि हितों की रक्षा के उपाय किए गये हैं।

गृह पत्तनः पोत के पत्तन की रजिस्ट्री जहां स्वामियों के हित हों।

लाइनरः एक माल वाहक पोत जो लदान एवं उतरान के नियत विज्ञापित पोतों के मध्य नियमित आधार पर संचालित किया जाता है।

लदा हुआ कार्गो : कार्गो जिसे पोत पर विभिन्न पत्तनों पर ले जाने के इरादे से लादा जाता है। उदाहरणार्थ के लिए निर्यात कार्गो।

मालसूचीः वह दस्तावेज जिसमें लदान के बिलों से तैयार की गई पोत के कार्गो की सम्पूर्ण सूची व्यक्त हो।

मास्टरः एक व्यापारिक पोत का कमाण्डर जो समुद्र में पोत के नौसंचालन एवं प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होता है। उसे समुद्री यात्रा एवं पत्तन पर हुई सभी घटनाओं का लॉग-बुक में लेखा देना होता है।

राष्ट्रीय झण्डाः पोत पर लगा हुआ झण्डा जो उसकी राष्ट्रीयता बताता है।

निवल टनभारः किसी पोत में सभी बन्द स्थानों का कुल कार्गो के लिए उपलब्ध, टन में व्यक्त किया गया हो जिसमें प्रत्येक 100 घन फीट एन.टी, अथवा एन/टी के समान हैं। निवल पंजीकृत टनभार एनआरटी अथवा एन.आर.टी. के रूप में भी प्रयुक्त।

बाहरी लदान के बिलः यह लदान का एक बिल होता है, जहां माल वास्तव में दूसरे देश को निर्यात किये जाते हैं न कि उसी देश के दूसरे पत्तन को।

पत्तन निकासीः मास्टर के लिए अपने पोत को समुद्र में ले जाने के लिए सीमा शुल्क की अनुमति।

कप्तान अथवा पोत का कप्तानः व्यापारिक पोत का कमाण्डर।

पोत स्वामीः एक व्यक्ति अथवा फर्म जो एक या अधिक पोत रखती हो।

पोत की मालसूचीः किसी वाणिज्यिक पोत की आवक जावक निकासी आवश्यकताओं में से एक। मालसूची प्रत्येक पत्तन से लादे गए विभिन्न कार्गो की स्पष्ट तस्वीर देती है।

खांचा अवक्रेताः क्योंकि पोत काफी मात्रा में कार्गो ले जा सकता है, कार्गो का स्थान खांचों के रूप में विभिन्न व्यक्तियों अथवा कम्पनियों को बेचा जा सकता है उस अवस्था में खांचा अवक्रेता को प्रभावी डीटीएए के अनुसार छूटों को अनुमत करने का आह्वान किया जाता है।

जहाजी कुलीः भारतीय ऐजेंट जहाजी कुलियों की नियुक्ति करते हैं जिन्हें निर्यात कार्गो से माल लादने एवं आयातित कार्गो को पोत से पत्तन परिसर के घाट पर खाली करने की व्यवस्था करने हेतु संबंधित पत्तन प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस दिया जाता है।

उप-अपक्रेताः एक व्यक्ति या कम्पनी जो एक पक्ष से एक पोत किराए पर लेती है जो उसका स्वामी नहीं है परन्तु उसने बदले में पोत किराए पर लिया है।

टीईयूः बीस फीट के समान इकाई।

समय किराया (टीओ) : किसी पोत को एक समय अवधि के लिए किराए पर लेना। यह या तो पोत स्वामी का जो अवक्रेता को अपना पोत किराए पर देता है, अथवा किसी अवक्रेता का जो एक पोत स्वामी से एक पोत किराए पर लेता है, का हो सकता है।

समय नौभारिक संविदाः एक अवक्रेता एवं पोत स्वामी के मध्य एक समय अवधि के लिए पोत किराए पर लेने के लिए अनुबन्ध निबन्धन एवं शर्तें रखने वाला दस्तावेज। स्वामी किराए की अवधि के लिए अवक्रेता के वाणिज्यिक उद्देश्यों की सेवाओं के लिए अपना पोत उपलब्ध

करवाने की प्रतिज्ञा करता है। समय नौभारिक संविदा की जटिलता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि पोत का स्वामित्व एवं कब्जा, जो स्वामी के हाथ में रहते हैं, पोत के उपयोग से अलग हो जाते हैं, जो कि अवक्रेता को प्रदान कर दिए जाते हैं एवं आंशिक रूप में समुद्र द्वारा माल ढुलाई विचित्र विशेषताओं एवं जोखिम के कारण।

समुद्री यात्रा किराया समय किराए से भिन्न होता है क्योंकि पहली अवस्था में पोत का प्रयोग स्वामी द्वारा अपने व्यापार के लिए किया जाता है। वह निश्चित एवं नियन्त्रण करता है कि वह कौन सा कार्गो ले जायेगा एवं पूर्ण व्यापारिक जोखिम तथा खर्च वहन करता है एवं आमदनी का पूर्ण उपभोग करता है। समय किराए के अन्तर्गत, स्वामी को ही किराए के भुगतान के रूप में पोत के अनुरक्षण, चालक एवं टनभार वहन करने होते हैं। किराया अवक्रेता को केवल पोत से कमाने की क्षमता का दोहन करने का अधिकार हस्तांतरित किया जाता है।

टनभारः कार्गो की मात्रा, प्रायः टनों की संख्या या टनों में व्यक्त की जाती है। इसे एक पोत की घनत्व क्षमता के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।

टग अथवा टगबोटः एक तुलनात्मक छोटा पोत शक्तिशाली इंजन सहित इस तरह निर्मित, किया गया कि युक्तिपूर्वक आसानी से नौकर्षण के एवं बचाव कार्यों मे सहायता करने के योग्य हो। टो बोट भी कहा जाता है।

उतारा गया कार्गो : विभिन्न पत्तनों से प्राप्त पोत से उतारा गया कार्गो। उदाहरण के लिए आयात कार्गो।

समुद्री यात्रा खाताः एक पोत की समुद्री यात्रा पूरी होने के पश्चात जब आय एवं सभी वास्तविक लागतों की जानकारी हो जाए, लागतों एवं राजस्व का एक विवरण।

समुद्री यात्रा का भाटक पत्रः वाहन का अनुबन्ध जिसमें अवक्रेता पोत के कार्गों स्थान में एक अथवा कई बार एक से अधिक स्थानों के लिए, समुद्री यात्रा के उपयोग के लिए भुगतान करता है।

समुद्री यात्रा अवक्रेताः एक अवक्रेता द्वारा पोत को एक विशेष समुद्री यात्रा के माल ढुलाई के लिए किराए पर लिया जा सकता है उस अवस्था में समुद्री यात्रा अवक्रेता पर लागू डीटीएए का छूटों के लिए आह्वान किया जाता है।